"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 जनवरी 2019 — पौष 26, शक 1940

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 16 जनवरी 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-12/2013/38-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग (महाविद्यालयीन शाखा, राजपत्रित) सेवा के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.-** (1) ये नियम छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा, राजपत्रित) भर्ती नियम, 2019 कहलायेंगे ।
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.-** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) सेवा के संबंध में **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
(ख) **"आयोग"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;
(ग) **"समिति"** से अभिप्रेत है चयन समिति या विभागीय पदोन्नति समिति, जैसा कि अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट है;
(घ) **"परीक्षा"** से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;
(ङ) **"शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
(च) **"राज्यपाल"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;
(छ) **"अन्य पिछड़े वर्ग"** से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ज) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(झ) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ञ) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ट) **"सेवा"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा, राजपत्रित);

(ठ) **"राज्य"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

(ड) दिव्यांगजन से अभिप्रेत है,–

(1) ऐसा व्यक्ति, जो दृष्टिहीन हैं, यदि वह निम्नलिखित दशाओं में से किसी एक से ग्रस्त हो :–

(एक) दृष्टि का पूर्णतः अभाव हो;

(दो) बेहतर आंख में परिषांधी लेंस से दृष्टिगत तीक्ष्णता 6/60 या 20/200 (सैलन) से अधिक न हो, या

(तीन) सामने की दूर दृष्टि का क्षेत्र 20 अंश के कोण तक सीमित हो या उससे कम हो।

(2) ऐसा व्यक्ति जो बहरा हो, यदि उसमें दैनिक प्रयोजन के लिये अपेक्षित श्रवण संवेदना का अभाव हो, यहां तक कि वह विस्तारित आवाज को भी बिल्कुल सुन या समझ नहीं सकते । ऐसे व्यक्ति इस प्रवर्ग में शामिल होंगे, जिनमें सुनने का ह्रास बेहतर कान में 80 डेसिबल से अधिक (अधिकतम कमी) हो या दोनो कानों में सुनने का पूरा ह्रास हो।

(3) उन व्यक्तियों को शारीरिक अशक्तता से ग्रसित समझा जायेगा, जिनमें ऐसा कोई शारीरिक दोष या विकृति हो, जिससे शरीर में हड्डियों, मांस पेशियों या जोड़ो की सामान्य क्रियाशीलता में बाधा पहुंचती हो।

(ढ) "नेट" से अभिप्रेत है यूजीसी/सीएसआईआर द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा;

(ण) "सेट/स्लेट" से अभिप्रेत है राज्य पात्रता परीक्षा, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा संचालित अथवा 02.06.2002 को या उसके पूर्व किसी अन्य राज्य द्वारा संचालित सेट/स्लेट परीक्षा।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनूसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गये हों।

5. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि.**– सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **भर्ती का तरीका.**– (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:–

(क) चयन (प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार) के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये; और

(घ) शासन द्वारा किसी महाविद्यालय को लिए जाने के पश्चात्, नियम 17 में विहित प्रक्रिया के अनुसार आमेलन द्वारा ।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, आयोग से परामर्श पश्चात्, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा उक्त अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, शासन द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**– सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:–

(एक) **आयु–** (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु

इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो "भूतपूर्व सैनिक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात्:–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(तीन) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं);

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए

छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ञ) सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ाधिकारी के पद में भर्ती के लिये शासकीय सेवा में प्रवेश करने हेतु उपरोक्त किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के आधार पर छूट प्रदान करने के उपरांत अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ट) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

टीप–(1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें नियम 8 के खण्ड (एक) के उप–खण्ड (घ) के पैरा (एक) एवं (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(दो) **शैक्षणिक अर्हताएं** – अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित शैक्षणिक अर्हताएं होना चाहिए, जैसा कि अनुसूची–तीन में दर्शित है:

परन्तु –

(1) आपवादिक मामलों में, आयोग, शासन की सिफारिश पर, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इस खंड में विहित की गई अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो, जिसके कारण आयोग अभ्यर्थी का परीक्षा/चयन में सम्मिलित किया जाना न्यायोचित ठहराता हो; और,

(2) ऐसे अभ्यर्थियों को, जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिन्होंने विदेशी विश्वविद्यालयों से, जो ऐसे विश्वविद्यालय है, जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्रदान नहीं की गई हैं, आयोग के विवेकानुसार परीक्षा/चयन हेतु शामिल किये जाने के लिये विचार किया जा सकेगा।

(तीन) फीसः— **(क)** अभ्यर्थी को आयोग द्वारा यथा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

(ख) उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें चिकित्सा मंडल के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपेक्षित किया गया हो, चिकित्सीय परीक्षा के पूर्व चिकित्सा मंडल के अध्यक्ष को ऐसी फीस का भुगतान करना होगा, जैसा कि शासन द्वारा विहित की जाए।

9. निरर्हता.— (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा परीक्षा/चयन हेतु शामिल होने के लिये निरर्हित माना जायेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जायेः

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि

यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे नैतिक अधोपतन से संबंधित किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.**– (1) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, आयोग द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

11. **चयन (प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार) के माध्यम से सीधी भर्ती.**– (1) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जायेगी, जैसा कि शासन, आयोग के परामर्श से, समय–समय पर अवधारित करे।

(2) प्रतियोगी परीक्षा, ऐसे पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना तथा निर्देशों के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित की जायेगी, जैसा कि शासन द्वारा आयोग के परामर्श से समय–समय पर जारी किया जाये। आयोग, यदि उचित समझे, शासन के परामर्श से इस सेवा या किसी अन्य सेवा में भर्ती के लिये संयुक्त परीक्षा आयोजित करेगा।

(3) सेवा में अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति से की जायेगी, जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये।

(4) सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंध तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस अधिनियम के अधीन समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पदों को आरक्षित रखा जायेगा। यह आरक्षण समस्तर और प्रभागवार होगा। उक्त उपंबंध के अध्यधीन रहते हुये नियुक्तियों में विधवा अथवा तलाकशुदा महिला को अधिमान दिया जायेगा ।

(6) उपरोक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिकों के लिये पदों को, शासन द्वारा समय–समय पर बनाये गये अधिनियम/नियम/जारी किये गये आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।

(7) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(8) उपरोक्त के अतिरिक्त, अभ्यर्थी, जो महिला/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक हैं और जिनका आरक्षण के फलस्वरूप चयन किया गया है, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(9) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा नियुक्ति के लिये पात्र घोषित किया गया हो, को उप–नियम (7) के अनुसार, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(10) ऐसे मामलों में, जहाँ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और शासन की राय में यह पाया जाता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो शासन, आयोग से परामर्श पश्चात्, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

12. **आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची.–** (1) आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों एवं प्रत्येक प्रवर्ग के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों की, जो महिला/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक के प्रवर्ग में आरक्षण के फलस्वरूप चयनित किये जायें, उनके मेरिट क्रम से सूची तैयार करेगा तथा शासन को अग्रेषित करेगा, जिसकी नियुक्ति हेतु वैधता, शासन को सूची के भेजे जाने की तिथि से एक वर्ष की होगी।

(2) उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचित की जायेगी।

(3) आयोग द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिये प्रत्येक प्रवर्ग हेतु एक चयन सूची तैयार की जायेगी, ऐसे प्रवर्गों के लिये एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25 प्रतिशत तक नाम सम्मिलित होंगे। सूची की वैधता, ऐसी चयन सूची के जारी होने की तिथि से डेढ़ वर्ष की होगी।

स्पष्टीकरण– प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त पदों की 25 प्रतिशत तक आंकलन करने के लिए, इसे पूर्णांक में लाने हेतु, अंक को अगले पूर्णांक तक बढ़ा दिया जायेगा।

(4) आयोग, उप–नियम (1) एवं (3) के अधीन तैयार की गई चयन सूची, शासन को नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेगा। तथापि, प्रतिक्षा सूची से नियुक्ति, आयोग की सहमति के बिना नहीं की जा सकेगी।

(5) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(7) कोई अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, वैधता अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने या त्यागपत्र देने या किन्ही कारणों से वह अयोग्य पाये जाने पर या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर, आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु अनुशंसित किये जा सकेंगे।

(8) यदि प्रतिक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम भेजे जाने के लिये शासन से अनुरोध प्राप्त होता है तो आयोग, उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, प्रतीक्षा सूची से नाम, अनुशंसित करेगा तथा इसे शासन को भेजेगा।

(9) शासन से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् आयोग, शासन को विधिमान्य कारणों का कथन करते हुए अधिकतम 6 माह के लिये चयन सूची की वैधता अवधि में वृद्धि कर सकेगा।

(10) चयन सूची की वैधता अवधि में 6 माह की वृद्धि किए जाने पर, प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की स्वतः वृद्धि होना माना जायेगा।

(11) उप–नियम (9) एवं (10) के अधीन तैयार की गई चयन सूची की वैधता में, आयोग द्वारा तब तक कोई वृद्धि नहीं की जायेगी, जब तक कि शासन, युक्तियुक्त कारण का कथन करते हुए वृद्धि करने हेतु कोई अनुशंसा नहीं करता।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:

परन्तु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जाएगा।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक न हो।

(3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार होगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रकिया, उप–नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन– नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन्

1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

14. **पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.**– (1) उप–नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट है अथवा शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक, फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) (एक) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर या अनुपयुक्त व्यक्ति को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गों के लिए विचारण हेतु कोई आधार नही होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो की प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए प्रर्याप्त होगी।

(दो) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) आधार पर की जानी हो वहां विचारण क्षेत्र, कुल रिक्त

पदो के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवक पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो विचारण क्षेत्र में कुल रिक्त पदों के 7 गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचारण क्षेत्र में आये आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचारण क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त तथा पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।

(3) उप–नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के नाम चयन सूची में सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।

(4) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश पदोन्नति हेतु लागू होंगे।

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.**– (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 13 एवं 14 में विहित शर्तो को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि के दौरान होने वाले अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से 1 एवं न्यूनतम 25 प्रतिशत तक नाम सम्मिलित होंगे।

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायेगा।

(4) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण में, सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित है, तो यथास्थिति, समिति, प्रस्तावित अवक्रमण के संबंध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा।

16. **आयोग से परामर्श.**– (1) नियम 15 के अनुसार तैयार की गई सूची, शासन द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आयोग को भेजी जायेगी:–

(एक) सूची में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों के अभिलेख।

(दो) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित समस्त ऐसे सदस्यों के अभिलेख, जिसका सूची में यथा अनुशंसित अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित है।

(तीन) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित सेवा के किसी सदस्य के प्रस्तावित अवक्रमण के लिए समिति के लेखबद्ध कारण।

(चार) समिति की अनुशंसाओं पर शासन की टिप्पणियां।

(2) यदि पदोन्नति समिति में आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य, जो अध्यक्ष/आयोग द्वारा नामांकित किया गया हो, उपस्थित रहे हों तथा यदि बैठक की कार्यवाही विवरण पर, अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों तो उप–नियम (1) के अधीन उपर्युक्त कार्यवाही अपेक्षित नहीं होगी तथा यह माना जायेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप–खण्ड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श करने संबंधी अपेक्षा का अनुपालन किया गया है तथा आयोग के साथ पृथक परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होगीं।

17. **आमेलन द्वारा भर्ती.**– (1) शासन द्वारा, कार्यभार ग्रहण किये गए अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल और क्रीड़ाधिकारी का आमेलन, छानबीन समिति द्वारा प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण

करने के उपरांत, की गई उनकी अनुशंसा पर किया जाएगा। समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :–

(एक) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग का कोई सदस्य;

(दो) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन;

(तीन) आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन;

(चार) सरकारी स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के दो प्राचार्य, जिन्हें शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे;

(पांच) यदि उपरोक्त (एक) से (चार) तक में अजा/अजजा वर्ग का कोई सदस्य न हो, तो इस प्रवर्ग से न्यूनतम एक सदस्य, शासन द्वारा नामांकित किया जायेगा।

(2) छानबीन समिति, समुचित पदों पर आमेलन के लिए उसे निर्दिष्ट मामलों के बारे में निम्नलिखित आधारों पर सिफारिश करेगी :–

(एक) वे समस्त व्यक्ति, जिन्हें छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा अनुदान आयोग के प्रारंभ के पूर्व, शासन द्वारा कार्य–भार ग्रहण किए गए निजी महाविद्यालयों में संबंधित विश्वविद्यालय की महाविद्यालयीन संहिता में दिए गए उपबंधो के अनुसार नियमित नियुक्ति के रूप में भर्ती किया गया था;

(दो) छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम, 1967 एवं छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालय शाखा) भर्ती नियम, 1990 के प्रारंभ होने के पश्चात्, भर्ती किया गया ऐसा कोई व्यक्ति, जो उक्त नियमों में विहित न्यूनतम अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है, आमेलित नहीं किया जाएगा;

(तीन) किसी व्यक्ति को आमेलित नहीं किया जाएगा, यदि उसे पूर्व में किसी भी समय शासकीय या किसी अन्य सेवा में साबित हुए अवचार और/या दाण्डिक अपराध के कारण हटाया गया हो या पदच्युत किया गया हो;

(चार) किसी व्यक्ति को शासकीय सेवा में आमेलित नहीं किया जाएगा, यदि उसने आमेलन के समय प्रवृत्त शासकीय नियमों के अनुसार अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर ली हो;

(पांच) किसी व्यक्ति को, जो राज्य सरकार द्वारा, कार्यभार ग्रहण किए गए किसी अशासकीय महाविद्यालय में रजिस्ट्रार या ग्रंथपाल या क्रीड़ाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो या उस रूप में पद धारण कर रहा हो, तब तक शासकीय सेवा में आमेलित नहीं किया जाएगा, जब तक कि नियुक्ति के समय ऐसा व्यक्ति न्यूनतम् अपेक्षाओं की पूर्ति न करता हो या ऐसी अर्हताएं धारण न करता हों, जो राज्य शासन द्वारा लिखित आदेश द्वारा अधिकथित की जाए;

(छः) किसी व्यक्ति को शासकीय सेवा में आमेलित नहीं किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति को, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा नियमित नियुक्ति के रूप में अनुमोदित नहीं की गई हैं।

(3) (एक) किसी व्यक्ति को शासकीय सेवा में उस पद से उच्च पद पर आमेलित नहीं किया जाएगा, जिस पर कि वह शासन द्वारा महाविद्यालय के कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व कर कार्य रहा था;

(दो) स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्य के रुप में आमेलन किये जाने के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो शासन द्वारा कार्यभार ग्रहण किये गए किसी महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहा हैं, इस नियम में विहित अन्य शर्तो के अतिरिक्त, यह आवश्यक है कि उसे न्यूनतम 14 वर्ष का अध्यापन का अनुभव हो जिसमें से तीन वर्ष का अध्यापन का अनुभव स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन का हो और दो वर्ष का अध्यापन का अनुभव प्राध्यापक के रूप में हों, स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर आमेलन के लिए, उपरोक्त के अतिरिक्त, दो वर्ष का स्नातक महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक होगा।

(4) इस नियम के सुसंगत उपबंधों पर विचार करने के पश्चात्, छानबीन समिति, शासन को उपयुक्त सिफारिश करेगी। समिति की सिफारिश किए जाने के पश्चात्, शासन द्वारा संबंधित व्यक्ति के आमेलन आदेश, समिति की सिफारिश के अनुसार जारी की जाएगी।

(5) किसी विशिष्ट पद पर आमेलित व्यक्ति की वरिष्ठता, उस महाविद्यालय के अधिग्रहण तिथि से होगी।

(6) किसी अशासकीय महाविद्यालय में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा शासकीय सेवा में उसके आमेलन पर कोई अवकाश अग्रणित किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, अशासकीय महाविद्यालय में की गई सेवा के संबंध में यदि ऐसा व्यक्ति अवकाश वेतन अभिदाय का भुगतान करता है तो उसे इस प्रकार अर्जित अवकाश को अग्रणित करने हेतु छत्तीसगढ़ अवकाश नियम में विहित निर्बंधनों तथा अधिकतम् सीमाओं के अधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जाएगा।

(7) इस नियम के उपबंधो के अनुसार शासकीय सेवा में आमेलित कोई व्यक्ति, इस तथ्य के आधार पर कि अशासकीय महाविद्यालय द्वारा पूर्व में ही सेवा से उसे स्थायी किया जा चुका था, अधिकार के तौर पर यह दावा नहीं कर सकेगा कि उसे शासकीय सेवा में स्थायी किया जाए, ऐसे व्यक्ति का स्थायीकरण समय–समय पर प्रवृत्त शासकीय नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(8) इन नियमों के उपबंधों के बारे में यही और सदैव यही समझा जाएगा कि वे 1 जनवरी 1971 से प्रवृत्त हुए हैं।

(9) शासन द्वारा, कार्यभार ग्रहण किए गए अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल तथा क्रीड़ाधिकारी, जिसकी नियुक्ति, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा नियमित नियुक्ति के रूप में अनुमोदित की गई थी, किन्तु जिन्हें छानबीन समिति द्वारा किसी भी कारण से शासकीय सेवा में आमेलित किए जाने हेतु अग्रहीत (अस्वीकार) किया गया था उस पद पर जिसे वे धारित किये थे, तदर्थ और अस्थायी आधार पर समाप्त होने वाली कैडर (डाइंग कैडर) के रूप में बने रहेंगें, किन्तु उन्हें शासकीय सेवा में उस रूप में वरिष्ठता पदोन्नति, वार्षिक वेतन वृद्धि तथा वेतनमान पुनरीक्षण के लाभ प्राप्त नही होंगे।

18. **चयन सूची.**– (1) आयोग, शासन से प्राप्त दस्तावेजों के साथ–साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा, यदि उसकी राय हो कि इसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है तो वह सूची को अनुमोदित करेगा।

(2) यदि आयोग, शासन से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझता है तो आयोग, प्रस्तावित परिर्वतनों के संबंध में शासन को सूचित करेगा तथा इस पर विचार करने के पश्चात यदि शासन कोई मत प्रकट करे तो ऐसे मत पर ध्यान देते हुए, ऐसे उपांतरणों सहित, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हो, सूची को अनुमोदित करेगा।

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से अनुसूची–चार के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित पदों पर सिविल सेवाओं के सदस्यों की पदोन्नति के लिये अनुमोदित चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची सामान्यतः इसके तैयार किये जाने की तारीख से 31 दिसंबर तक विधिमान्य रहेगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के अनुरोध पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और आयोग, यदि वह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

19. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**– (एक) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

(दो) साधारणतः उस अधिकारी की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो शासन की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

20. **परिवीक्षा.**– (1) (क) सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(ख) परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, तो परिवीक्षा की अवधि अधिकतम 1 वर्ष तक की कालावधि के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।

(ग) परिवीक्षा की अवधि या बढ़ायी गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा अवधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय हो कि कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने के योग्य नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(2) सेवा में पदोन्नति से भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये स्थानापन्न हैसियत से नियुक्त किया जायेगा।

21. **निर्वचन.**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

22. **शिथिलीकरण.**– इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

23. **निरसन एवं व्यावृत्ति.**– (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, सचिव.

अनुसूची–एक
(नियम 4 एवं 5 देखिये)

स.क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आयुक्त, उच्च शिक्षा	01	प्रथम श्रेणी	37,000–67,000 + ए.जी.पी. 10,000
2.	प्राचार्य – स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा	58+8	प्रथम श्रेणी	37,400–67,000 + ए.जी.पी. 10,000 + विशेष वेतन 3000
3.	प्राचार्य, स्नातक महाविद्यालय, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा तथा राज्य सम्पर्क अधिकारी (राष्ट्रीय सेवा योजना)	187+6	प्रथम श्रेणी	37,400–67,000 + ए.जी.पी. 10,000 + विशेष वेतन 2000
4.	प्राध्यापक एवं उपसंचालक, उच्च शिक्षा	592+6	प्रथम श्रेणी	37,400–67,000 + ए.जी.पी. 10,000
5.	पदोन्नत प्राध्यापक	संख्या निर्धारित नहीं	प्रथम श्रेणी	37,400–67,000 + ए.जी.पी. 10,000
6.	सह–प्राध्यापक	संख्या निर्धारित नहीं	प्रथम श्रेणी	37,400–67,000 + ए.जी.पी. 9,000

7.	(क) सहायक प्राध्यापक (ख) सहायक प्राध्यापक (रू. 6000 से अधिक ए. जी.पी.)	3855 –	द्वितीय श्रेणी प्रथम श्रेणी	15,600–39,100 + ए.जी.पी. 6,000 15,600–39,100 + ए.जी.पी. 7,000 15,600–39,100 + ए.जी.पी. 8,000 37,400–67,000 + ए.जी.पी. 9,000
8.	(क) क्रीड़ा अधिकारी	116	द्वितीय श्रेणी	15,600–39,100 + ए.जी.पी. 6,000
	(ख) क्रीड़ा अधिकारी (रू. 6000 से अधिक ए.जी.पी.)	–	प्रथम श्रेणी	15,600–39,100 + ए.जी.पी. 7,000 15,600–39,100 + ए.जी.पी. 8,000 37,400–67,000 + ए.जी.पी. 9,000
9.	(क) ग्रंथपाल	125	द्वितीय श्रेणी	15,600–39,100 + ए.जी.पी. 6,000
	(ख) ग्रंथपाल (रू. 6000 से अधिक ए.जी.पी.)	–	प्रथम श्रेणी	15,600–39,100 + ए.जी.पी. 7,000 15,600–39,100 + ए.जी.पी. 8,000 37,400–67,000 + ए.जी.पी. 9,000

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिये)

स.क	सेवा /पद का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6(1) (क) देखिये)	पदोन्नति द्वारा (नियम 6(1) (ख) देखिये)	अन्य सेवाओं से व्यक्ति के स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम 6(1) (ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा राजपत्रित)						
1.	आयुक्त, उच्च शिक्षा	01	–	–	100%	भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति से
2.	प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा	58+8	–	100%	–	राज्य संपर्क अधिकारी, उपाधि प्राचार्य के काडर में से होगा जिसे राष्ट्रीय सेवा योजना का सात वर्ष के कार्य का अनुभव हो।
3.	प्राचार्य, स्नातक महाविद्यालय, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा तथा राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना	187+6	–	100 %	–	25 % सीधी भर्ती प्राध्यापक 75 % पदोन्नत प्राध्यापक
4.	प्राध्यापक और उप संचालक, उच्च शिक्षा	592	100 %	–	–	
5.	पदोन्नत प्राध्यापक	संख्या निर्धारित नहीं	–	100 %		ये पद विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से भरे जायेंगे। पदोन्नत प्राध्यापकों के ऐसे पदों की कोई निर्धारित संख्या नहीं होगी और इन पदों की संख्या अपेक्षित ज्येष्ठता और अर्हता वाले सह– प्राध्यापकों की संख्या के आधार पर बदलती रहेगी। सह–प्राध्यापक की पदोन्नति अनुसूची चार में वर्णित उपबंधों के अधीन विहित सेवा कालावधि पूरी करने के पश्चात् तथा उसमें विहित अर्हताएं की शर्तें पूर्ण करने पर सेवा अभिलेख के अनुसार की जायेगी।

6.	सह–प्राध्यापक	संख्या निर्धारित नहीं	--	100 %	–	ये पद विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से भरे जायेगें। सह–प्राध्यापकों के ऐसे पदों की कोई निर्धारित संख्या नहीं होगी और इन पदों की संख्या अपेक्षित ज्येष्ठता और अर्हता वाले सहायक प्रध्यापकों की संख्या के आधार पर बदलती रहेगी। सहायक प्राध्यापक के पद से पदोन्नति अनुसूची चार में वर्णित उपबंधों के अधीन विहित सेवा कालावधि पूरी करने के पश्चात् तथा उसमें विहित अर्हताएं रखने पर सेवा रिकार्ड के आधार पर की जावेगी।
7.	सहायक प्राध्यापक	3855	100 %	--	–	प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, इसमें सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जायेगा।
8.	क्रीड़ा अधिकारी	116	100 %	--	–	प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, इसमें सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जायेगा।
9.	ग्रंथपाल	125	98 %	2%	–	(1) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, इसमें सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जायेगा। (2) केवल डाइंग केडर के सहायक ग्रंथपाल के लिये, इन अधिकारियों के पदोन्नति के पश्चात भविष्य में ये पद पदोन्नति से नहीं भरे जायेंगे।

टीपः– अनुक्रमांक 7, 8 एवं 9 में उल्लेखित पदों की 7000, 8000 एवं 9000 एकेडिमिक ग्रेड पे में स्थानन की प्रकिया, अनुसूची–चार में दी गई टिप्पणी के अनुसार होगी।

अनुसूची–तीन
(नियम 8 देखिये)

स.क्र.	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतर आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्राध्यापक और उप संचालक, उच्च शिक्षा	31 वर्ष	45 वर्ष	(क) (एक) प्रतिष्ठित विद्वान जिसकी पी.एच.डी. में अर्हता अपने संबंधित/सम्बद्ध/सुसंगत विषय में प्राप्त हैं, जिनकी प्रकाशित रचना उच्च कोटि की हैं, जो कि वर्तमान में शोध कार्य में सक्रिय है तथा जिसके प्रकाशित ग्रंथ का साक्ष्य विद्यमान है तथा न्यूनतम रूप से उनकी कम से कम 10 रचनाएँ, पुस्तकों एवं/अथवा शोध/विषय से जुड़ी नीति विषयक प्रपत्र के रुप में प्रकाशित हो। (दो) किसी भी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में अध्यापन का दस वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो, एवं/ अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में/ उद्योगों में अनुभव हो; जिसमें पीएच.डी. स्तर पर कर रहे शोध छात्रों को दिशानिर्देश करने का अनुभव भी सम्मिलित हो । (तीन) शैक्षणिक नवोन्मेष, नवीन पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम तथा प्रौद्योगिकी–माध्ययुक्त अध्यापन प्रशिक्षण प्रक्रिया में विस्तार। (चार) न्यूनतम समेकित एपीआई स्कोर, जैसा कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पीबीएएस) के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) में निर्दिष्ट हैं, जिसे शासन द्वारा पृथक से अधिसूचना द्वारा जारी की जायेगी । अथवा ब. (ख) उत्कृष्ट व्यावसायिक व्यक्ति, जिसकी अपने सापेक्ष कार्य क्षेत्र में विद्यमान प्रतिष्ठा हो तथा जिसने संबंधित/सम्बद्ध/सुसंगत विषय के ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान किया हो तथा जिसका प्रमाणीकरण प्रत्यायकों द्वारा किया जाए।
2.	सहः प्राध्यापक	29 वर्ष	43 वर्ष	(एक) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ संबंधित विषय में पी. एच.डी. की उपाधि। (दो) किसी भी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में अध्यापन का दस वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो, एवं/ अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में/ उद्योगों में अनुभव हो, जिसमें पीएच.डी. स्तर पर कर रहे शोध छात्रों को दिशानिर्देश करने का अनुभव भी सम्मिलित हो। कम से कम पांच रचनायें, पुस्तकों एवं/अथवा शोध/विषय से जुड़ी नीति विषयक प्रपत्र के रुप में प्रकाशित हो । (तीन) शैक्षणिक नवोन्मेष, नवीन पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम तथा प्रौद्योगिकी–माध्ययुक्त अध्यापन एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया में विस्तार।

				(चार) न्यूनतम समेकित एपीआई स्कोर, जैसा कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पीबीएएस) के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) में निर्दिष्ट हैं, जिसे शासन द्वारा पृथक से अधिसूचना द्वारा जारी की जायेगी ।
3.	सहायक प्राध्यापक	21 वर्ष	30 वर्ष	(क) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ किसी भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि स्तर में संबंधित विषय में कम से कम 55% अंक (अथवा/एवं 7 बिन्दु ग्रेडिंग पद्धति में ग्रेड "बी") अथवा किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि । (ख) उपरोक्त अर्हताओं की पूर्ति करने के बाद भी, अभ्यर्थी को यूजीसी, सीएसआईआर द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा यूजीसी द्वारा प्रत्यायित (मान्यता प्राप्त) समतुल्य परीक्षा जैसे कि स्लेट/सेट उत्तीर्ण करना होगा। (ग) उप–खण्ड (क) तथा (ख) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पीएच. डी. प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. उपाधि हो या जिन्हें प्रदान की गई हो, को सहायक प्राध्यापक या उसके समतुल्य पद में भर्ती तथा नियुक्ति के लिये नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट रहेगी । (घ) ऐसे विषयों में स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिसके लिये नेट/स्लेट /सेट परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है, के लिये नेट/स्लेट/सेट की अनिवार्यता नहीं होगी।
4.	क्रीड़ा अधिकारी	21 वर्ष	30 वर्ष	(क) कम से कम 55 प्रतिशत अंको के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा खेलकूद विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री (अथवा समतुल्य डिग्री अथवा यूजीसी 7 पाइंट स्केल मे श्रेणी "बी") तथा अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड हो। (ख) अन्तर–विश्वविद्यालय/अन्तर–महाविद्यालयीन प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय और/ या राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व का रिकार्ड हो। (ग) राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा जो इस उददेश्य से यू.जी.सी. द्वारा अथवा अन्य किसी अभिकरण द्वारा जो कि यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदित हो, आयोजित की गई हो, में अर्ह हो। (घ) इन नियमों के अनुसार संचालित शारीरिक क्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हो ।
				(ड.) तथापि, ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. प्रदान करने केलिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. उपाधि हो या प्रदान की गई हो, को खेल अधिकारी या उसके समतुल्य पद में भर्ती तथा नियुक्ति के लिए नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता की शर्तों की अनिवार्यता से छूट रहेगी।

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(च) शारीरिक दक्षता परीक्षा संबंधी मापदण्ड :–

(एक) उपरोक्त प्रावधानों के अध्यधीन, ऐसे समस्त अभ्यर्थी, जिनके लिये शारीरिक दक्षता परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य होता है, के द्वारा ऐसे परीक्षाओं में उपस्थित होने से पूर्व ऐसी चिकित्सीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा जिसमें सत्यापित होगा कि वह चिकित्सीय रूप से स्वस्थ है।

(दो) उपरोक्त उप–खण्ड (एक) के अंतर्गत ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, नीचे दिये गये मापदण्डों के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक सक्षमता परीक्षा देना होगा: –

<table>
<tr><td colspan="4">पुरूषों के लिए मापदण्ड</td></tr>
<tr><td colspan="4">12 मिनट की दौड़/चाल की परीक्षा</td></tr>
<tr><td>30 वर्ष तक</td><td>40 वर्ष तक</td><td>45 वर्ष तक</td><td>50 वर्ष तक</td></tr>
<tr><td>1800 मीटर</td><td>1500 मीटर</td><td>1200 मीटर</td><td>800 मीटर</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="4">महिलाओं के लिए मापदण्ड</td></tr>
<tr><td colspan="4">8 मिनट की दौड़/चाल की परीक्षा</td></tr>
<tr><td>30 वर्ष तक</td><td>40 वर्ष तक</td><td>45 वर्ष तक</td><td>50 वर्ष तक</td></tr>
<tr><td>1000 मीटर</td><td>800 मीटर</td><td>600 मीटर</td><td>400 मीटर</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>टीपः– कीड़ा अधिकारी के पद के लिये–

(एक) लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में अर्ह अभ्यर्थियों के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षा, छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित/नामांकित विभाग या एजेन्सी द्वारा लिया जायेगा ।

(दो) शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनर्ह अभ्यर्थी, चयन प्रकिया के लिये अपात्र होंगे ।</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>ग्रंथपाल</td>
<td>21 वर्ष</td>
<td>30 वर्ष</td>
<td>(1) पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/ डाकुमेंटेशन विज्ञान में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा ऐसी समतुल्य व्यावसायिक उपाधि (अथवा जहां ग्रेडिंग पद्धति लागू है पाइन्ट स्केल में समतुल्य ग्रेड अथवा यूजीसी अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित समतुल्य व्यवसायिक उपाधि तथा पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण का ज्ञान एवं अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड हो ।
टीप –
(1) अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ दिव्यांग (शारीरिक एवं दृष्टिबाधित दिव्यांग)/ अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट की प्रदान की जायेगी,. 55 या 50 प्रतिशत अंक को पूर्णांकित किया जाना स्वीकार्य नहीं होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये कृपांक भी छूट हेतु स्वीकार्य नहीं किये जायेगें।</td>
</tr>
</table>

(2) यूजीसी अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था (एजेंसी) द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अथवा सेट/स्लेट परीक्षा पुस्तकालय विज्ञान में अर्ह हो।

(3) तथापि, ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. उपाधि हो या प्रदान की गई हो, को ग्रंथपाल या उसके समतुल्य पद में भर्ती तथा नियुक्ति के लिए नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता की शर्तों की अनिवार्यता से छूट रहेगी।

टीप– सहायक प्राध्यापक/क्रीड़ाधिकारी/ग्रंथपाल के लिये :-

(1) वे अभ्यर्थी, जो दिनांक 11 जुलाई, 2009 के पूर्व सहायक प्राध्यापक/क्रीड़ाधिकारी/ ग्रंथपाल पद के लिये एम.फिल./पीएच.डी. हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत है, उपाधि प्रदान करने वाले संबंधित संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों द्वारा शासित होंगे। पीएच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन न्यूनतम पात्रता शर्तों से छूट प्राप्त होगी :

(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित पद्धति से पीएच.डी. उपाधि प्रदान की गई हो;

(ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो,

(ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों (जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो);

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/ सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों;

(ड.) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो ।

उपर्युक्त (क) से (ड.) को कुलपति/ प्रति–कुलपति/ संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/ संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

(2) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड से अभिप्रेत है: –

(एक) स्नातक (अन्डर ग्रेजुएट)– न्यूनतम 50%

(3) यू.जी.सी. की परिवर्तन तालिका के अनुसार, प्रतिशत अंकों को निम्नानुसार परिवर्तित किया जायेगा:–

श्रेणी	श्रेणी बिन्दु (पाईंट)	समतुल्य प्रतिशत
'O'	5.50 - 6.00	75 - 100
'A'	4.50 - 5.49	65 - 74
'B'	3.50 - 4.49	55 - 64
'C'	2.50 - 3.49	45 - 54
'D'	1.50 - 2.49	35 - 44
'E'	0.50 - 1.49	25 - 34
'F'	0.00 - 0.49	00 - 24

				(4) (एक) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजन तथा दृष्टिहीन व्यक्ति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–क्रीमी–लेयर) के संवर्ग के व्यक्तियों की, शिक्षण संबंधी पदों पर सीधी भर्ती के दौरान उनके पात्रता एवं अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के निर्धारण के उद्देश्य से स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5: की छूट प्रदान की जा सकेगी । पात्रता के लिए 55: अंक (अथवा जहां कहीं ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहां पर "पाइंट स्केल" की समकक्ष श्रेणी) तथा उपरोक्त उल्लिखित संवर्गों के लिये 5: की छूट, किसी अनुग्रह अंक के सम्मिलित करने की प्रक्रिया के बिना, केवल अर्हकारी अंकों पर आधारित रहेगी । (दो) ऐसे पीएच.डी. उपाधि धारक, जिन्होने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितम्बर 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली हो, के अंकों में 5: की छूट प्रदान की जायेगी जो कि 55: से 50: तक होगी। (तीन) जहां पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो, वहां संबंधित श्रेणी, जो 55: के यथा समतुल्य मानी गई हो, पात्रता समझी जायेगी।

टिप्पणी :–

(1) सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के पश्चात् "अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष" के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 3–2/2002/1–3, रायपुर दिनांक 16.09.2008 के निर्बंधन, प्राध्यापकों एवं सह प्राध्यपकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए लागू नहीं होंगे।

(2) अनुसूची–तीन के कॉलम (5) के अंतर्गत प्राध्यापक/उप संचालक एवं सह प्राध्यापक, उच्च शिक्षा के पदों के लिए उच्चतर आयु सीमा निम्नानुसार होगी :–

स.क्र.	प्रवर्ग	उच्चतर आयु सीमा	
		प्राध्यापक	सह प्राध्यापक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पुरूष (अनारक्षित)	45 वर्ष	43 वर्ष
2.	पुरूष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग)	50 वर्ष	48 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित)	55 वर्ष	53 वर्ष
4.	महिला (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग)	60 वर्ष	58 वर्ष
5.	विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा (आरक्षित/अनारक्षित प्रवर्ग)	60 वर्ष	58 वर्ष

(3) प्राध्यापकों एवं सह प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए, इन नियमों में विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रकार की छूटों का लाभ लेने के पश्चात् उच्चतर आयु सीमा क्रमशः 60 वर्ष एवं 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी है के लिए, उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी ।

अनुसूची–चार

(नियम 14 एवं 15 देखिये)

स.क्र.	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए सेवा अनुभव की न्यूनतम अवधि	चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	प्राचार्य उपाधि महाविद्यालय, संयुक्त संचालक तथा राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना	प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा	स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर पदोन्नति, स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्यों में से उन प्राचार्यों की, उपाधि महाविद्यालय संवर्ग की संयुक्त ज्येष्ठता सूची के आधार पर की जायेगी, जिन्हें प्राचार्य के पद का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो। पदोन्नति, योग्यता–सह–ज्येष्ठता के आधार पर होगी। परन्तु अनुभव की शर्त उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी जिनके नाम पर ज्येष्ठता होते हुए भी पूर्वतर पदोन्नतियों के समय विचार नहीं हो सका।	(1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई सदस्य **–अध्यक्ष** (2) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा **–सदस्य** (3) आयुक्त, उच्च शिक्षा**–सदस्य**	
2.	प्राध्यापक/पदोन्नत प्राध्यापक तथा उप संचालक, उच्च शिक्षा	प्राचार्य स्नातक महाविद्यालय, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा तथा राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना	स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर पदोन्नति, कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखने वाले प्राध्यापकों में से योग्यता–सह–ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी। विभागीय पदोन्नति समिति, प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए सीधी भर्ती के प्राध्यापकों तथा पदोन्नत हुए प्राध्यापकों की ज्येष्ठता सूचियां अलग–अलग तैयार करेगी। इन सूचियों में से प्राचार्य के पद पर सीधी भर्ती के प्राध्यापकों का 25 प्रतिशत एवं पदोन्नत प्राध्यापकों का 75 प्रतिशत होगा। पदोन्नत प्राध्यापकों की ज्येष्ठता सूची उनके सहायक प्राध्यापक के पद पर वरिष्ठता के आधार पर बनाई जावेगी। सीधी भर्ती के प्राध्यापकों की ज्येष्ठता सूची लोक सेवा आयोग से जारी चयन सूची में दर्शाये गये ज्येष्ठता क्रम के आधार पर होगी ।	तदैव	
3.	सह–प्राध्यापक	पदोन्नत प्राध्यापक/उप संचालक	उन सह–प्राध्यापक को, 37,400–67,000 + ए.जी.पी. 10,000 के वेतनमान वाले प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति की पात्रता होगी, जिन्होंने :–	तदैव	

			(क) सह प्राध्यापक के रुप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (ख) न्यूनतम समेकित ए.पी.आई. स्कोर जैसा कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.) के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) में निर्दिष्ट हैं, जिसे कि शासन द्वारा पृथक से अधिसूचना द्वारा जारी की जायेगी। (ग) कार्य निष्पादन संबंधी विगत 05 वर्षों का मूल्यांकन रिपार्ट निरंतर बहुत अच्छी हो।		
4.	सहायक प्राध्यापक	सह–प्राध्यापक	उन सहायक प्राध्यापक को, 37,400–67,000 + ए.जी.पी. 9,000 के वेतनमान वाले सह प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति की पात्रता होगी, जिन्होंने:– (क) सहायक प्राध्यापक के रुप में 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (ख) वेतनमान 37,400–67,000 + ए.जी.पी. 9,000 के वेतनमान में कम से कम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (ग) न्यूनतम समेकित ए.पी.आई. स्कोर जैसा कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.) के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) में निर्दिष्ट हैं, जिसे कि शासन द्वारा पृथक से अधिसूचना द्वारा जारी की जायेगी। (घ) कार्य निष्पादन संबंधी विगत 05 वर्षों का मूल्यांकन रिपार्ट निरंतर बहुत अच्छी हो।	तदैव	अनुभव एवं योग्यता, जो कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में उल्लेखित है, के आधार पर, सहायक प्राध्यापक की पदोन्नति सह–प्राध्यापक के पद में की जायेगी।

टिप्पणी :–

(1) सहायक ग्रंथपाल के पद, डाइंग काडर के है तथा ये पद समाप्त होने वाले पद है। अतः उपर्युक्तानुसार, इन पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की पदोन्नति के पश्चात्, भविष्य में ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नतियां नहीं होंगी।

(2) सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी तथा ग्रंथपाल को ज्येष्ठ वेतनमान तथा प्रवरश्रेणी वेतनमान प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करनी होगी :–

(क) ज्येष्ठ वेतनमान हेतु– सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी को, 15600–39100 के वेतनमान में ग्रेड वेतन 7000 के ज्येष्ठ वेतनमान में पदांकन किया जायेगा, यदि उसने :–

(एक) नियमित नियुक्ति के पश्चात् 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। यदि वह पी.एचडी अथवा एम.फिल धारक हो तो सेवा काल क्रमशः 4 एवं 5 वर्ष पूर्ण कर ली हो;

(दो) यदि वे पीएचडी धारक है तो एक ओरिएन्टेशन एवं अन्य के लिये एक ओरिएन्टेशन एवं एक रिफ्रेशर कार्स जो गुणवत्ता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्दिष्ट मापदण्डों के समरूप हो,

(तीन) उसकी कार्य निष्पादन संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट निरंतर संतोषजनक हो।

(ख) प्रवर श्रेणी वेतनमान हेतु– ज्येष्ठ वेतनमान में कार्यरत सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी, प्रवरश्रेणी के वेतनमान में रखे जाने हेतु पात्र होंगे, यदि उसने :–

(एक) ज्येष्ठ वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो, सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी के रुप में कम से कम 11 वर्ष, पी.एचडी एवं एम.फिल धारक के लिये क्रमशः 9/10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो;

(दो) ज्येष्ठ वेतनमान में पदांकन के उपरांत दो रिफ्रेशर पाठ्यक्रम/ग्रीष्मकालीन संस्थाओं में जो प्रत्येक लगभग 4 सप्ताह की अवधि का हो, भाग लिया हो या वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप समुचित अवतरण शिक्षण कार्यक्रमों से जुड़ा रहा हो; और

(तीन) उसकी कार्य निष्पादन संबंधी मूल्यांकन निरंतर अच्छी हो।

(3) ज्येष्ठ वेतनमान तथा प्रवरश्रेणी वेतनमान में पदांकन के लिये छानबीन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(एक) आयुक्त, उच्च शिक्षा या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई भी अतिरिक्त संचालक	–	संयोजक
(दो) उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग	–	सदस्य
(तीन) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का प्राचार्य (आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा नाम निर्दिष्ट)	–	सदस्य
(चार) उच्च शिक्षा से संबंधित एक शिक्षाविद	–	सदस्य

छानबीन समिति, सूची में रखे जाने की उपयुक्तता अवधारित करने हेतु समय–समय पर शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार छानबीन का कार्य संपादित करेगी।

नोट :– ज्येष्ठ एवं प्रवर श्रेणी वेतनमान हेतु यू.जी.सी. एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

अनुसूची–पांच

(नियम 17 (1) देखिये)

आवेदन का प्रपत्र

(सहायक प्राध्यापक / क्रीड़ा अधिकारी / ग्रंथपाल के पद हेतु)

फोटो
पासपोर्ट
साइज
(अनुप्रमाणित)

1. नाम तथा पता : .....
   : .....
   : .....
   विषय : .....
2. राज्य का नाम (जहां जन्म हुआ हो) : .....
3. जन्म तारीख (अंकों में) : .....
   (शब्दों में) : .....
4. पद के लिये विज्ञापन दिए जाने वाले वर्ष में 1 जनवरी ..... को आयु वर्ष ..... माह .....दिन.....
5. शैक्षणिक अर्हताएं :–

मंडल / विश्वविद्यालय	वर्ष	श्रेणी	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क) हायर सेकेण्डरी				
(ख) स्नातक				
(ग) स्नातकोत्तर				

प्रत्येक के लिए अंकसूची की अनुप्रमाणित प्रति अपेक्षित है।

6. यदि एम.फिल / पी.एच.डी. उपाधि दी गई है, तो विषय का उल्लेख करें तथा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें : .....
7. यदि अभ्यर्थी अ.जा. / अ.ज.जा. प्रवर्ग का है तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नाम का उल्लेख करें तथा सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र संलग्न करें : .....
8. यदि अभ्यर्थी पूर्व से ही नियोजित हो तो अपना पदनाम, संस्था का नाम तथा विभाग का नाम दर्शित करें : .....
9. अन्य कोई जानकारी, जो अभ्यर्थी देने का इच्छुक हो : .....

.....
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

तारीख.....
स्थान.....

Atal Nagar, the 16th January 2019

NOTIFICATION

No.- F 1- 12/2013/38-1.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the Chhattisgarh Higher Education Department (Collegiate Branch, Gazetted) Recruitment and Conditions of Service, namely:-

RULES

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Educational Service (Collegiate Branch, Gazetted) Recruitment Rules, 2019.

   (2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**- In these rules, unless the context otherwise requires,-

   (a) "**Appointing Authority**" in respect of services means the Government of Chhattisgarh;

   (b) "**Commission**" means the Chhattisgarh Public Service Commission;

   (c) "**Committee**" means a selection committee or departmental promotion committee as specified in Schedule-IV;

   (d) "**Examination**" means a competitive examination held under rule 11 of these rules;

   (e) "**Government**" means the Government of Chhattisgarh;

   (f) "**Governor**" means the Governor of Chhattisgarh;

(g) "**Other Backward Classes**" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5/25/4/84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;

(h) "**Schedule**" means a Schedule appended to these rules;

(i) "**Scheduled Castes**" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Articles 341 of the Constitution of India;

(j) "**Scheduled Tribes**" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Articles 342 of the Constitution of India;

(k) "**Services**" means the Chhattisgarh Educational Service (Collegiate Branch, Gazetted);

(l) "**State**" means the State of Chhattisgarh;

(m) "**Persons with Disability**" means,-

(1) A person who is blind, if he suffers from one of the following conditions:-

(i) Total loss of vision;

(ii) Intensity of eye sight is not more than 6/60 or 20/200 (shellan) in the better eye with the corrective lens; or

(iii) The frontal angle of vision is limited to an angle of 20° or less.

(2) A person who is deaf, if he lacks sensation of hearing required for daily purpose, to the extent that he cannot hear or understand even amplified sound. Such person who suffer from loss of hearing in the better ear to the extent of more than 80 decibals (maximum loss) or who have lost the sense of hearing in both the ears shall be included in this category.

(3) Those persons will be deemed to be suffering from physical infirmity who have a physical defect or deformity which restricts the bones, muscles or joints in body to function narmally.

(n) "**NET**" means National Eligibility Test conducted by UGC/CSIR;

(o) "**SET/SLET**" means State Eligibility Test conducted by the State of Chhattisgarh or SET/SLETconducted by any State on or before 02.06.2002.

3. Scope and application. - Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. Constitution of the service.- The service shall consist of the following persons, namely :-

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively or in an officiating capacity the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification, scale of pay etc.- The classification of the service, the number of posts included in the service and the scales of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. Method of recruitment.- (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-

(a) by direct recruitment, through selection (competitive examination and interview);

(b) by promotion of members of the service;

(c) by transfer/deputation of persons, who hold in a substantive capacity such post in such services, as may be specified in this behalf; and

(d) By absorption in accordance with the procedure prescribed in rule 17, after a college has been taken over by the Government.

(2) The number of persons recruited under clause (a), (b) and (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in the Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government, the exigencies of the service so require, the Government may after consultation with the Commission adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) At the time of recruitment to the service, the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhada Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and instructions issued, from time to time, under the said Act by the General Administration Department of the Government shall apply.

7. **Appointment in service.** - After the commencement of these rules, all appointment to the service shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.-** In order to be eligible for direct recruitment/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(I) Age – (a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January of the year in which the advertisement for the post is published;

(b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 years, if a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer);

(c) The upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 10 years for a women candidate in accordance with the provisions of the Chhattisgarh

Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh, to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government servant should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committee;

(iii) A candidate who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years;

Explanation- The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary

Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years before from the date of his registration at the employment exchange or application made otherwise for employment in Government service.

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years;

Explanation -The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government service, namely:-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-

(a) Completion of short term engagement;

(b) Fulfilling the conditions of the enrolment;

(iii) Ex-servicemen (Military and Civil) who are discharged on completion of their contract (including Short-Service Regular Commissioned Officers);

(iv) Ex-servicemen/Officer discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(v) Ex-Servicemen invalidated out of service;

(vi) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(vii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc;

(f) The upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under Inter-Caste Marriage Promotional Scheme under the Untouchability Eradication Rules, 1984;

(g) The upper age limit shall also be relaxable upto 5 years in respect of Shaheed Rajiv Pandey Award,

Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdeo Awards holder candidates and National Youth Award holder young candidates;

(h) The upper age limit shall be relaxed up to 38 years of age in respect of candidates who are the employees of the Chhattisgarh State Corporations /Boards;

(i) The upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard service previously rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years;

(j) In any case the maximum age shall not exceed 45 years for admission in Government service for the recruitment of the post of Assistant Professor/ Librarian/Sports Officer irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above;

(k) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall also be applicable.

Note- (1) The candidates who are admitted to the examination/ selection under the age concessions mentioned in para (i) and (ii) of sub-clause (d) of

clause (I) of rule 8 above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) In no other case these age limits shall be relaxed. The departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the examination/ selection.

(II) Educational qualifications - The candidate must possess the educational qualifications as prescribed for the service as shown in Schedule-III.

Provided that -

(1) In exceptional cases the Commission may, on the recommendation of the Government, treat as qualified a candidate, who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause, has passed examination conducted by other institutions by a standard which, in the opinion of the Commission justifies the admission of the candidate to the examination/selection;

(2) Candidates who are otherwise qualified but have taken degree from Foreign Universities, being Universities not specifically recoganised by Government may also be considered for the

examination/selection at the discretion of the Commission.

(III) Fees: - (A) The candidate must pay the fees as prescribed by the Commission.

(B) The candidate who have been required to appear before medical board must pay the fees as prescribed by the Government to the Chairman of the Medical Board before medical test.

9. Disqualification.- (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means, directly or indirectly, shall be held by the Commission to be a disqualification for appearing in the examination/selection.

(2) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so, then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule to such candidates.

(3) Any candidate shall not be appointed to any service or post until he/ she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical disability which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his

medical examination under a condition that if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(4) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority is satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(5) Any candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

10. Commission's decision about the eligibility of candidates shall be final.- (1) The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission for examination/interview, shall not be allowed to appear in the examination/interview.

(2) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government, if it comes to notice of the Commission that a candidate has given wrong information or any misinformation is found in the documents submitted by him, then he shall be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Commission.

11.Direct recruitment through Selection (Competitive Examination /Interview). - (1) The selection for recruitment to

the service shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the Commission, from time to time, determine.

(2) The competitive examination shall be conducted by the Commission as per such syllabus, examination plan and directions issued by the Government on consultation with the Commission, from time to time. Commission, if deems fit, shall conduct joint examination for recruitment in the service or any other service with consultation of the Government.

(3) The selection of the candidates to the service shall be made in such manner as may be determined by the Commission.

(4) At the time of recruitment in the service the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyan, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued under this Act by the General Administration Department of the Government from time to time shall be applicable.

(5) There shall be 30 percent reserved posts for women candidates in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997. The reservation shall be Horizontal and Comportment-wise. Subject to the said provisions, preference shall be given to widow and divorcee for appointment.

(6) In addition to above, the posts for person with disability/ex-servicemen shall be reserved in accordance with the Act/Rule/Order/Instructions issued by the Government from time to time.

(7) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(8) In addition to above the candidates who may be women/person with disability/ ex-servicemen and who is selected consequent to reservation, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank as compare with other candidates.

(9) Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who are declared eligible for appointment by the Commission keeping in view of their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) as per the sub-rule (7) as the case may be.

(10) In such cases, where experience of certain period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Government that there is a possibility of candidates, belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) may not be available in sufficient number, the Government, after consultation with the Commission, may relax the condition of experience to the

candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

12. List of Candidates recommended by the Commission.- (1) The Commission shall prepare and forward to Government, a list arranged in the order of merit of the candidates, who have qualified by such standards as may be determine by the Commission and the list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who may not be qualified by that standard, but are declared to be suitable by the Commission for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration and the list of candidates of each category belonging to women, persons with disability/ex-servicemen in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards due to reservation, whose validity for appointment shall be one year from the date of sending the list to the Government.

(2) List so prepared under sub-rule (1) shall be notified on the Commission's website for information to the general public.

(3) A select list for each category shall be prepared by the Commission for filling the vacant posts, for such categories a waiting list shall also be prepared in which minimum one name and maximum names upto 25% of the vacant posts shall be included. The validity of the list shall be for one and half year from the date of issue of such select list.

Explanation- While calculating 25% vacant posts in each category, to make it an integer, decimal number shall be extended to the next integral number.

(4) Commission shall forward the selection list prepared under sub-rule (1) and (3) to the Government for further action regarding appointment. However, no appointment shall made from waiting list without approval of the Commission.

(5) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Services) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(6) The inclusion of candidates name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(7) Any candidate, whose name is included in the selection list, do not join the duty within the valid period or resigns or for any reason he is found unfit or the selected candidate dies during the valid period, the name of candidate from the waiting list can be recommended by the Commission for appointment.

(8) If a request is being received from the Government asking to send names of the candidates from waiting list, then the Commission, as per the above provisions, shall recommend the names from the waiting list and send it to the Government.

(9) The Commission after receiving the proposal from the Government, can extend the validity period of selection list for a maximum period of 6 months by stating valid reason to the Government.

(10) On extending the validity period of select list for 6 months, the validity period of waiting list shall automatically deem to be extended for 6 months.

(11) The validity of selection list, prepared under sub-rule (9) and (10), shall not be extended by the Commission unless the Government makes any recommendation stating valid reason for extension.

13. Appointment by promotion. - (1) There shall be a Committee consisting of the members mentioned in Scheduled-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that under this sub-rule for constitution of the Committee, provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam,1994 (No 21 of 1994) shall also be adhered to.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Every promotion shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and as per model roaster.

(4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the

instructions issued by the General Administrative Department of the Government from time to time.

(5) Certification by the Appointing Authority - Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhede Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules framed by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

14. Conditions of eligibility for promotion.- (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons who on first day of January of that year had completed such number of years of service as specified in column (4) of Schedule-IV (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made as specified in column (2) of Schedule-IV or on any other post or posts declared equivalent thereto by the Government and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation - Method of computation for eligibility for promotion– The calculation of the period of qualifying service on the 1st day of January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which public servant has joined the

feeder cadre/part of service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of service/pay scale of the post.

(2) (i) In such cases where promotion is to be given on seniority cum fitness basis or on seniority basis leaving unsuitable candidate, there will be no grounds for consideration for all categories. Proposals of such number of public servants shall only be considered as per seniority that shall be sufficient for filling the existing posts in each category and number of expected vacant post due to retirement/ promotion during 1 year.

(ii) In such cases where promotion is to be made on merit cum seniority basis, the area for consideration shall be four more than two times of the total vacant posts. If the sufficient number of Government servants in Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for promotion then the area of consideration may extend upto 7 times of the total vacant posts and filling up of reserved post may be made from the persons belonging to reserved category above mentioned area of consideration. Committee shall consider to fill the vacancies existing under each category in said area of consideration and the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of 1 year.

(3) To fill up the unexpected vacancies during the said duration in addition to the expected vacancies under sub-rule (2), two public servant or upto 25% of number of public servant included in the select list, which ever is more, shall consider the name of public

servant with requisite number for each cadre for the purpose of inclusion of his name.

(4) Promotion shall be made as per Reservation Roster prescribed by the Government.

(5) Provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the order issued by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall be applicable for promotion.

15. Preparation of list of suitable candidate. - (1) The Committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the condition prescribed in rule 13 and 14 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of period of one year from the date of preparation of the select list. In addition to this a reserve list, which shall consist one and minimum upto 25% in each category, shall be prepared to fill the unexpected vacancies during said period.

(2) The list of suitable officers shall be prepared according to the provision of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(4) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service, as the case may be, then the committee shall record its reasons for the proposed supersession.

16.Consultation with the Commission - (1) The list prepared in accordance with rule 15 shall be sent to the Commission by the Government along with following documents :-

(i) the record of all the persons included in the list.

(ii) the records of all such persons mentioned in column (2) of Schedule-IV, who are proposed for supersession as recommended in the list.

(iii) the recorded reasons of the committee for the proposed supersession of any person of the service as mentioned in column (2) of Schedule-IV.

(iv) the remarks of the Government on the recommendations of the Committee.

(2) If the Chairman of the Commission or any member who is nominated by the Chairman/Commission is present in the promotion committee and if all members of the committee including Chairman have signed on the proceeding of the meeting then the above action under sub-rule (1) is not required and it shall be deemed to be compliance of the requirement of the consultation with the Commission under sub-clause (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution and a separate consultation with the Commission shall not be necessary.

17. Recruitment by Absorption.- (1) The absorption of Principals, Professors, Associate Professors, Assistant Professors, Librarians and Sports Officers of non-government colleges taken over by the Government shall be made on the recommendations made by the Screening Committee after examining every case. The Committee shall consist of the following members:-

(i) Chairman, Public Service Commission or a member of the Commission, nominated by the Chairman;

(ii) Principal Secretary/Secretary, Higher Education, Government of Chhattisgarh;

(iii) Commissioner, Higher Education, Government of Chhattisgarh;

(iv) Two Principals of Government Post Graduate Colleges shall be nominated by the Government;

(v) At least one member from SC/ST categories to be nominated by the Government, in case no member from this category is available in (i) to (iv) above.

(2)The Screening Committee shall recommend the cases refered to it for absorption to appropriate posts on the following basis:-

(i) All those persons, who were recruited as regular appointees in the non-government colleges taken over by the Government according to the provisions given in the college code of the concerning universities prior to the commencement of the Chhattisgarh Uchcha Shiksha Anudan Ayog;

(ii) No such person, shall be absorbed who is recruited after the commencement of the Chhattisgarh Education Service (Collegiate Branch) Recruitment Rules, 1967 and Chhattisgarh Education Service (Collegiate Branch) Recruitment Rules, 1990, who does not fulfill the minimum requirements prescribed in the said rules, at the time of appointment;

(iii) No person shall be absorbed if at any time in the past he or she was removed or dismissed from Government or any other service for proved misconduct and /or criminal offence;

(iv) No person shall be absorbed in Government Service if he or she has attained the age of superannuation according to the Government rules in force at the time of absorption;

(v) No person appointed as or holding the post of a Registrar, or a Librarian or a Sports Officer, in a non-government college taken over by the State Government, shall be absorbed in Government Service, unless, at the time of appointment, such person answers such minimum requirements or holds such qualifications as may be laid down by the State Government by an order in writing;

(vi) No person shall be absorbed in Government Service whose appointment is not approved as a regular appointment by the Chhattisgarh Uchcha Shiksha Anudan Ayog presently the State or the university as the case may be.

(3) (i) No person shall be absorbed in a higher post in Government Service from the post on which he/she was working prior to the take over of the college by the Government;

(ii) For being absorbed as Principal of a Degree College, a person working as Principal of a college taken over by the

Government shall, in addition to the other conditions prescribed under this Rule have a minimum of 14 years teaching experience out of which 3 years teaching experience shall pertain to teaching post graduate classes and two years teaching experience as Professor. For absorption to the post of Principal of Post Graduate College, a further experience of two years of working as Principal of a Degree College shall be necessary.

(4) The Screening Committee, after taking into consideration, the relevant provisions of this rule shall make suitable recommendations to Government. After the recommendations of the Committee the absorption orders of the concerning persons will be issued by Government according to the recommendations of the Committee.

(5)A person absorbed to a particular post shall get his/her seniority from the date the college was taken over.

(6)No leave shall be permitted to be carried forward by a person working in a non-government college on his/her absorption in Government Service. However, if such a person pays the leave salary contribution in respect of the service rendered in a non-government college, he/she shall be permitted to carry forward the leave so earned subject to the restrictions and maximum limits prescribed in the Chhattisgarh Leave Rules.

(7)No person absorbed into Government Service under the provisions of this Rule shall by virtue of the fact that he/she was earlier confirmed in service by the non-government college claim as of right to be confirmed in Government Service. Confirmation

of such persons shall be done in accordance with the Government rules in force from time to time.

(8)The provisions of these rules shall be and shall always be deemed to have come into force with effect from the 1st January, 1971.

(9)The Principal, Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Librarian, Sports Officer of the non-government college, taken over by the Government whose appointments were approved as a regular appointment by the Chhattishgarh Uchcha Shiksha Anudan Ayog or the University as the case may be, but are rejected by the Screening Committee for their absorption in Government Service due to any reason, will continue on the post, they held on adhoc and temporary basis in dying cadre, but will not get any benefit of seniority, promotion, annual increments and revision of pay-scale in Government Service as such.

18. Select List.- (1) The Commission shall consider over the list along with the documents received from the Government, prepared by the Committee, if it feel that there is no need of making any changes then it shall approve the list.

(2) If the Commission considers it necessary to make any changes in the list received from the Government, the Commission shall inform the Government of the changes proposed and if the Government expresses any opinion after considering it, along with such modifications, if any, in its opinion that is just and proper, will approve the list.

(3) The select list finally approved by the Commission shall be approved select list for promotion of the members of the civil services as mentioned in column (3) of Schedule-IV from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV.

(4) The select list shall be ordinarily valid upto 31st December from the date of its preparation:

Provided that in event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Commission, if it thinks fit, may remove the name of such person from the select list.

19. Appointment to the service from the select list. - (i) Appointment of the officers included in the select list to post borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such officers appears in the select list.

(ii) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of proposed appointment, there occurs any deterioration in his work, which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

20. Probation.- - (1) (a) Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

(b) If the work is found unsatisfactory, then the period of probation can be extended by the Appointing Authority a maximum of 1year.

(c) During the period of probation or period extended or at the end of probation period, if the Appointing Authority is of the opinion that any particular candidate is not fit to be an officer, then the services of such probationer can be terminated.

(2) Every person recruited by promotion to the service shall be appointed in officiating capacity for a period of 2 years.

21. Interpretation.- If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

22. Relaxation.-Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules may apply in such manner as may appear to it to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

23. Repeal and saving.- (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing in these rules shall effect reservation and other concession provided to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government, from time to time, in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SURENDRA KUMAR JAISWAL, Secretary.

SCHEDULE-I

(See rule 4 and 5)

S.No.	Name of Posts included in the Service	Number of Posts	Classification	Scale of pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Commissioner, Higher Education	01	Class-I	37000 - 67000 + AGP 10000
2.	Principal, P.G. College , Additional Director, Higher Education	58+8	Class-I	37400 - 67000 + AGP 10000 + Special Pay 3000
3.	Principal, Degree College, Joint Director, Higher Education and State Liason Officer (N.S.S.)	187+6	Class-I	37400 - 67000 + AGP 10000 + Special Pay 2000
4.	Professor and Deputy Director, Higher education	592+6	Class-I	37400 - 67000 + AGP 10000
5.	Pramoted Professor	Number not defined	Class-I	37400 - 67000 + AGP 10000
6.	Associate Professor	Number not defined	Class-I	37400 - 67000 + AGP 9000
7.	(a)Assisstant Professor	3855	Class-II	15600- 39100 + AGP 6000
	(b) Assisstant Professor (More than Rs 6000 AGP)	-	Class-I	15600- 39100 + AGP 7000 15600- 39100 + AGP 8000 37400- 67000 + AGP 9000
8.	(a) Sports Officer	116	Class-II	15600- 39100 + AGP 6000
	(b) Sports Officer (More than Rs 6000 AGP)	-	Class-I	15600- 39100 + AGP 7000 15600- 39100 + AGP 8000 37400- 67000 + AGP 9000

9	(a) Librarian	125	Class-II	15600-6000 39100 + AGP
	(b) Librarian (More than Rs 6000 AGP)	-	Class-I	15600-7000 39100 + AGP 15600-8000 39100 + AGP 37400-9000 67000 + AGP

SCHEDULE-II

(See rule 6)

S.No.	Name of service/ post	Total Number of Duty Posts	Percentage of Duty post to be filled			Remarks
			By direct recruitment (See Rule 6(1)(1))	By Promotion of substantive members of service (See Rule 6(1)(2))	By transfer /deputation of persons of other services (See Rule 6(1)(3))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Chhattisgarh Educational Service (Collegiate Branch, Gazetted)						
1.	Commissioner, Higher Education	01	--	--	--	An Officer of Indian Administrative Service of Supertime Scale on deputation
2.	Principal P.G. College and Additional Director, Higher Education.	58+8	--	100%	--	State Liason Officer shall be from amongst the degree, Principal Cadre, having seven years experience of National Service Scheme
3.	Principal Degree College, Joint Director, Higher Education and State Liason Officer National Service Scheme.	187+6	--	100%	--	25% from Diret Recruitment Professor 75% from Promoted Professer
4.	Professor and Deputy Director, Higher education	592	100%	--	--	-
5.	Promoted Professers.	Number not defined	-	100%	--	These posts will be filled up through Departmental Promotion Committee. There will be no definite number of such posts for the promoted professors and it will change according to the number of Associate Professors fulfilling the expected conditions of seniority and eligibility. The Associate Professor will be promoted according to the Schedule-IV, regarding the completition of the

						service period and satisfying eligibility conditions as per the service record mentioned therein.
6.	Associate Professor			100%	--	These posts will be filled up through Departmental Promotion Committee. There will be no definite number of such posts for Associate professors and it will change according to the number of Assistant Professors fulfilling the expected conditions of seniority and eligibility. The Assistant Professor will be promoted according to the Schedule-IV, regarding the completition of the service period and satisfying eligibility conditions as per the service record mentioned therein.
7.	Assistant Professor	3855	100%	-	--	By competitive examination. The successful candidates shall be interviewed as well.
8.	Sports Officer	116	100%	-	--	By competitive examination. The successful candidates shall be interviewed as well.
9.	Librarian	125	98%	2%	--	(1) By competitive examination. The successful candidates shall be interviewed as well. (2) Only for assistant librarian of dying cadre, these posts shall not be filled up by promotion in future after promotion of these officers

Note: The procedure for appointment in academic grade pay (AGP) Rs. 7000, 8000, and 9000 to the posts mentioned in Serial No. 7, 8 and 9 shall be according to the note given in Schedule-IV.

SCHEDULE-III

(See rule 8)

S.No.	Name of the posts included in service	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed educational qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Professors and Deputy Director, Higher education	31 years	45 years	**(A)** (i) An eminent scholar with Ph.D qualification in the concerned/allied/relevant discipline and published work of high quality, actively engaged in research with evidence of published work with a minimum of 10 publications as book and/or research/policy papers related to the subject. (ii) A minimum of 10 years teaching experience in university/college, and/or experience in research at the University/National level institutions/industries, including experience of guiding candidates for research at doctoral level. (iii) Contribution to educational innovation, design of new curriculam and courses, and technology - mediated teaching learning process. (iv) A minimum consolidated API score as stipulated in the Academic Performance Indicator (API) based Performance Based Appraisal System (PBAS), set out in the Notification issued separately by the Government. ***OR*** **(B)** An outstanding professional, with established reputation in the relevant field, who has made significant contributions to the knowledge in the concerned/ allied/relevant discipline, to be substantiated by credentials.
2.	Associate Professor	29 years	43 years	(i) Ph.D degree in the concerned subject with a good acadmic record. (ii) A minimum of 8 years of experience of teaching in university/college and / or experience in research at the University/National level institutions/ Industries including experience of guiding candidates for research at the doctoral level. A minimum of 5 publications as books and /or Research / Policy papers related to the subject. (iii) Expansion of teaching and training mechanism with Educational Innovation, new syllabus subjects with Technology media. (iv) minimum consolidated API score as stipulated in the Academic Performance Indicator (API) based Performance Based Appraisal System (PBAS), set out in the Notification issued separately by the Government.
3.	Assistant Professor	21 years	30 years	(A) Good academic record as defined with atleast 55% marks (or and grade B in a 7-point grading system) at the Master's Degree level in a relevant subject from an

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign university.
(B) Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET.
(C) Notwithstanding anything contained in sub-clauses (A) and (B), candidates, who are, or have been awarded a Ph.D Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Colleges.
(D) NET/SLET/SET shall also not be required for such Master's Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Sports Officer</td><td>21 years</td><td>30 years</td><td>(A) A Master's Degree in Physical Education or Master's Degree in Sports Science with at least 55% marks (or an equivalent degree or B grade in a 7- point scale wherever grading system is followed) with a consistently good academic record.
(B) Record of having represented the University /college at the inter-university/inter collegiate competitions or the State in national championships.
(C) Qualifying in the national level test conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC.
(D) Passed the physical fitness test conducted in accordance with these rules.
(E) However, candidates who are or have been awarded Ph.D degree in accordance with the "University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./ Ph.D Degree) Regulation, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for the recruitment and appointment of Sports Officer or equivalent post.
(F) PHYSICAL FITNESS TEST NORMS
(i) Subject to the above provisions, all candidates who are required to undertake the physical fitness test shall be required to produce a medical certificate certifying that he/she is medically fit before undertaking such tests.
(ii) On production of such certificate in sub-clause (i) above, the candidate would be required to undertake the physical fitness test in accordance with the following norm given below:-
<table>
<tr><th colspan="4">NORMS FOR MEN</th></tr>
<tr><th colspan="4">12 MINUTES RUN/WALK TEST</th></tr>
<tr><th>Up to 30 years</th><th>Up to 40 years</th><th>Up to 45 years</th><th>Up to 50 years</th></tr>
<tr><td>1800</td><td>1500</td><td>1200</td><td>800</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

				metres | metres | metres | metres **NORMS FOR WOMEN** 8 MINUTES RUN/WALK TEST **Up to 30 years** | **Up to 40 years** | **Up to 45 years** | **Up to 50 years** 1000 metres | 800 metres | 600 metres | 400 metres Note:- For the post of Sports Officer – (i) Physical Fitness Test shall be taken by the department or agency approved by the Higher Education Department of the Government of Chhattisgarh for candidates who have qualified written examination and interview. (ii) Candidate, who have not qualified in the physical fitness test, shall not eligible for selection process.
5.	Librarian	21 years	30 years	(1) A Master's Degree in Library Science / Information Science / Documentation Science or an equivalent professional degree with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed or an equivalent professional degree notified by UGC or the State Government) and a consistently good academic record with knowledge computerization of library. ***NOTE :-*** (1) A relaxation of 5% may be provided at the graduate and master's level for the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/ Differently-abled (Physically and visually different-abled)/ OBC (non- creamy layer) rounding off of 55% or 50% shall not be accepted and grace marks given by the university shall also not be accepted. (2) Qualifying in the national level test conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC or SLET/SET in Library Science. (3) However, candidates who are or have been awarded Ph.D degree in accordance with the "University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./ Ph.D. Degree) Regulation, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for the recruitment and appointment of Librarian or equivalent post. **NOTE:- For Assitant Professor/ Sports Officers/Librarian :-** (1) Those candidates registered before 11 July 2009 for M.Phil./Ph.D for the post of Assistant Professor / Sports Officer / Librarian shall be governed by the then ordinance of / byelaws/regulations of the concerned institution providing degree. The candidates having Ph.D degree shall be exampted from the minimum eligibility conditions subject to the conditions as follow:

(A) The candidate has obtained Ph.D degree on regular basis.
(B) Ph.D thesis has been evaluated by two external examiners.
(C) The candiate has published two research papers (out of which atleast one in refereed journal) from his Ph.D research work.
(D) The candidate has presented two papers from his Ph.D research work in seminars / conferences.
(E) The candidate has faced viva-voce.

The aforementioned (A) to (E) should be certified by Vice Chancellor / Pro Vice Chancellor / Dean Faculty (Academic) / Dean Faculty (UTD).

(2) **Good Academic Record means:**
(i) Under Graduate- At least 50%

(3) According to the UGC conversion table the percentage of marks shall be converted as follows:-

Grade	Grade Point	Percentage Equivalent
'O'	5.50-6.00	75-100
'A'	4.50-5.49	65-74
'B'	3.50-4.49	55-64
'C'	2.50-3.49	45-54
'D'	1.50-2.49	35-44
'E'	0.50-1.49	25-34
'F'	0.00-0.49	00-24

(4)

(i) A relaxation of 5% may be provided at the graduate and master's level for the Scheduled Caste/ScheduledTribe /Differently-abled (Physically and visually fifferent-abled/OBC (Non-creamy-layer) categories for the purpose of eligibility and for assessing good academic record during direct recruitment to teaching positions. The eligibility marks of 55% marks (or an equivalent grade in a "point scale" wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible, based on only the qualifying marks without including any grace mark procedures.

(ii) A relaxation of 5% may be provided, from 55% to 50% of the marks to the Ph.D. Degree holders, who have obtained their Master's Degree prior to 19 September, 1991.

(iii) Relevant grade which is regarded as equivalent of 55% wherever the grading system is followed by a recognized university shall also be considered eligible.

Annotation:-

(1) The restrictions of circular of the General Administrative Department no F 3-2/2002/1-3, Raipur, dated 16.09.2008 regarding the "Maximum age limit 45 years" including all types of relaxations shall not be applicable for the direct recruitment to the post of Professors and Associate Proefessors.

(2) The upper age limit for the post of Professor/ Deputy Directors and Associate Professor, Higher Education under column (5) of the schedule III shall be as followes :-

NO.	CATEGORY	UPPER AGE LIMIT	
		PROFESSOR	ASSOCIATE PROFESSOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Male (Unreserved)	45 years	43 years
2	Male (SC/ST/OBC/Persons with disabilities)	50 years	48 years
3	Female (Unreserved)	55 years	53 years
4	Female (SC/ST/OBC/ Persons with disabilities)	60 years	58 years
5	Widow/ Abondoned / Divorcee (Reserved/Unreserved Categories)	60 years	58 years

(3) The upper age limits to the post of Professors and Associate Professors through direct recruitment shall not be more than 60 years and 58 years respectively after taking advantage of different types of relaxations as specified in these rules.

(4) The upper age limit shall be relaxable, for the candidates who are Local resident of State of Chhattisgarh, as per instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

SCHEDULE-IV

(See rule 14 and 15)

S.No.	Name of service or Post from which Promotion to be made	Name of service or Post to which Promotion is to be made	Minimum period of service experience for promotion	Name of the member of the Selection Committee/ Departmental Promotion committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Principal Degree College, Joint Director and State Liason Officer, National Service Scheme	Principal, Post Graduate College and Additional Director, Higher Education	Promotion to the post of Principal, Post Graduate College, from among those Degree College Principals who are having at least two years of experience of the post of Principal, shall be made on the basis of combined seniority list of Principal degree college cadre. The promotion shall be on the basis of merit-cum -seniority. Provided that, the condition of experience shall not apply to persons whose names could not be considered at the time of earlier promotions despite having seniority.	(1)Chairman, Public Service Commission or any member nominated by him - **Chairman** (2) Principal Secretary/ Secretary, Higher Education - **Member** (3) Commissioner, Higher Education - **Member**	--
2.	Professor/Promoted Professor and Deputy Director Higher education	Principal Degree College, Joint Director, Higher Education and State Lisoning Officer, NSS	Promotion to the post of Degree College Principal shall be made from among professors having at least two years of experience as professor on the basis of merit-cum-seniority. The Departmental promotion committee shall prepare different seniority lists of Promoted Professors & Directly recruited professors, for promotion to the post of Principal respectively in the ratio in which they were in the beginning of the year of the meeting of the departmental promotion committee. There shall be 25 percent post of Professor of direct recruitment and 75 percent post of promoted Professor on the post of	.....do.....	--

			Principal out of these lists. The seniority list of the promoted professors will be made on the basis of there seniority in the list of assistant professors. The seniority list of the direct recruited professors will be on the basis of the seniority as shown in the selection list issued by the public service commission.		
3.	Associate Professor	Professor/ Deputy Director	Those Associate professors shall have eligible for promotion to the post of professors with 37400-67000+AGP 10000 pay scale who - **(a)** Have completed three years service as associate professors **(b)** A minimum consolidated API score as stipulated in the (API) based Performance - Based Appraisal system (PBAS), for which a separate notification shall be issued by the Government. **(c)** Their performance based appraisal report has been very good for the past five years.	.....do.....	--
	Assistant Professor	Associate Professor	Those Assistant professors shall have eligible for promotion to the post of Associate professors with 37400-67000+AGP 9000 pay scale who - **(a)** Have completed eight years of service as Assitant professors **(b)** Have completed at least three years of service in the pay scale of 37400-67000+AGP 9000 **(c)** A minimum consolidated API score as stipulated in the (API) based Performance - Based Appraisal system (PBAS), for which a separate notification shall be issued by the Government. **(d)** Their performance based appraisal report has been very good for the past five years.	.....do.....	In the basis of experience and qualification mention in the column number (4) in Schedule-IV the promotion of Assitant Professors shall be made on the posts of Associate Professors.

Note :

(1) The posts of Assistant Librarian belong to dying cadre and they are to be abolished. Hence, after the promotion of the persons working in these posts as above, there shall be no promotions to the post of librarians in future.

(2) Assistant Professor/Sports officer and Librarian shall have to fulfill the following qualifications to get senior scale and selection grade scale.

(a) For Senior Scale – Assistant Prof./Librarian/Sports officer shall be placed in the senior grade pay of 7,000 in the scale of 15,600-39,100 if they have :-

(i) Completed 6 years of regular service, 4 years and 5 years of service in case he is Ph.D. or M.Phil. degree holder respectively;

(ii) Have participated in one orientation course if they are Ph.D. holders and for others one orientation course and one refresher course which are qualitatively in accordance with the standards fixed by the University Grants Commission;

(iii) His performance evaluation has been constantly Satisfactory.

(b) For placement in Selection Grade Scale – All Assistant Prof./Librarian/Sports officer working in senior pay scale shall have the eligibility of being placed in Selection Grade Scale if they have:-

(i) completed five years service period in senior scale, as Assistant Prof./ /Librarian/Sports officer with at least 11 years and for those Ph.D. and M.Phil. degree holders who have completed 9/10 years respectively;

(ii) having participated in two refresher courses/Summer institutions each of 4 weeks after having been placed in senior scale or have been continuously involved in programmes which are qualitatively equivalent to the standards fixed by the University Grants Commission; and

(iii) their performance evaluation has been constantly good.

(3) For placement in Senior and Selection Grade Scale there shall be consisting of the following members in the Screening Committee :-

(i) Commissioner, Higher Education or an additional Director nominated by him – Convener

(ii) Deputy Secretary, Chhattisgarh Government, Higher Education Department – Member.

(iii) Principal of Govt. Post Graduate College – Member
(Nominated by the Commissioner Higher Education)

(iv) An academician, associated with higher Education- Member.

Screening Committee shall perform the screening in accordance with the instruction issued form time-to-time by the Government for the determination of fitness for being shortlisted

Note :- Directives issued from time-to-time for placement in senior and selection grade scale by the UGC and Government shall be applicable.

SCHEDULE - V

(See Rule 17(i))

Passport size photo

(Attested)

Proforma of Application
(For the post of Assistant Professor/Sports Officer/Librarian)

1. Name and Address : .....
   : .....
   Subject : .....
2. Name of the State : .....
   (where born)
3. Date of Birth (In figures) : .....
   (In words) : .....
4. In the year of advertisement for the post, age as on 1st January .....year .....month ..... days .....
5. **Academic Qulification :-**

Board/University	Year	Division	Subject	Marks obtained/Maximum Marks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(A) Higher Secondary				
(B) Graduation				
(C) Post Graduation				

For each attested marksheet is required.

6. If M.Phil. / PhD degree has been awarded, mention the topic and furnish the certificate : .....
7. If the candidate belongs to SC/ST category, Scheduled Caste's and Scheduled Tribe's name be mentioned. Attach certificate of the competent authority : .....
8. If the candidate is already employed, mention designation, name of the Institution and, name of the department. : .....
9. Any other information the candidate may like to furnish. : .....

Date ....
Place ..... **Signature of the candidate**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.